



दिनांक :
30 सितम्बर 2026

प्रबंधन बोर्ड की इकतीसवीं बैठक

कार्यवाही

स्थान:

कुलपति सभागार कक्ष
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना – 800 014 (बिहार)

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

दिनांक-30.09.2026 को अपराह्न 12:00 बजे कुलपति सभागार कक्ष, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में संपन्न प्रबंधन बोर्ड की इकतीसवीं (31वीं) बैठक की कार्यवाही :-

व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	डॉ० इन्द्रजीत सिंह, कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।	अध्यक्ष
2.	श्री शैलेश कुमार, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार का नामनिर्देशिती)
3.	श्री अखील अवर सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार का नामनिर्देशिती)
4.	डॉ० दिनेश कुमार जौनपुरी, संयुक्त निदेशक (प० स्वा०), पशुपालन निदेशालय, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (निदेशक, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार के नामनिर्देशिती)
5.	श्री बिनय कुमार चौधरी, निदेशक, गव्य, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य
6.	डॉ० टुन-टुन सिंह, सहायक निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।	सदस्य (निदेशक, मत्स्य, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार सरकार के नामनिर्देशिती)
7.	श्री रामदयाल सिंह, प्रगतिशील किसान, ग्राम+पोस्ट- धमार, थाना-मुफरिसल, जिला-भोजपुर।	सदस्य
8.	श्री के०पी०एस० केशरी, विशिष्ट कृषि उद्योगपति, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मेसर्स आम्रपाली फुड्स लि०, पटना।	सदस्य
9.	श्रीमती भावना झा, उत्कृष्ट महिला सामाजिक कार्यकर्ता (पूर्व स०वि०स०), हनुमान नगर कॉलनी, नियर हनुमान मंदिर, स्टेशन रोड, मधुबनी, पिन-847211, बिहार।	सदस्य

10.	डॉ० नरेश कुमार सिंह, निदेशक अनुसंधान, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।	सदस्य
11.	डॉ० पल्लव शेखर, अधिष्ठाता, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	सदस्य
12.	डॉ० पंकज कुमार सिंह, कुलसचिव (प्रभारी), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना।	गैर सदस्य सचिव

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Zoom Meeting) के माध्यम से उपस्थिति :

क्र०सं०	नाम	पदनाम
1.	डॉ० एन० एच० केलावाला, Former Vice-Chancellor, Kamdhenu University, Gandhinagar, Gujarat. E-401, Shivalik Sharda Harmony, Polytechnic Cross Road, Panjrapole, IIM Road, Ahmedabad-380015	सदस्य
2.	डॉ० अनूप दास, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना।	सदस्य
3.	डॉ० अनिल कुमार, सहायक महानिदेशक (Coordination), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।	सदस्य

विश्वविद्यालय के कुलसचिव-सह-प्रबंधन बोर्ड के गैर सदस्य सचिव द्वारा माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अवगत कराया गया। तदोपरांत परिचालित कार्यावली एवं अन्य मामलों पर सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय/प्रस्ताव पारित किये गये।

कार्यावली संख्या-31.1

विवरण :-

दिनांक-20.05.2026 को सम्पन्न बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की 30वीं बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

प्रबंधन बोर्ड की 30वीं बैठक दिनांक-20.05.2026 को सम्पन्न हुई। तीसरी प्रबंधन बोर्ड की बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विश्वविद्यालय ज्ञापांक-379/कु०स०/बि०प०वि०वि०, पटना दिनांक-21.05.2026 द्वारा परिचालित है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अप्राप्त है।

निर्णय

परिचालित कार्यवाही प्रतिवेदन, सम्पुष्टि हेतु प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।
सम्पुष्टि।

कार्यावली संख्या-31.2

विवरण :-

दिनांक-20.05.2026 को सम्पन्न बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की 30वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कृत कारवाई का संसूचन।

दिनांक-20.05.2026 को सम्पन्न बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रबंधन बोर्ड की 30वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कारवाई की सूचना प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

स्वीकृत।

Approval for amendment in terms & conditions of the service agreement executed at the time of fresh appointment of different post under the university.

विवरण :-

A committee was constituted vide O. O. No. BASU/Reg./Admin./F.No.-PF/104/Part-II(i)/574 dated 27/02/2026 to examine the various clauses of the agreement relating to Service Conditions executed at the time of fresh appointment of teachers, officers, and non-teaching employees after selection.

The committee examined the provisions of the bond agreement presently in force, as well as the statutory provisions which empower the University in this regard.

The committee vide its proceedings dated 24/03/2026 recommended that, with a view to bring conformity with the prevailing laws, and Acts and Statutes of the University, certain modification are required to be made.

- i. Firstly, such agreement bond should be made applicable only for those employees who are appointed for the first time or whose applications are not forwarded through the proper channel.
- ii. Secondly, clear stipulations regarding recovery amount and the period for the same are required to be incorporated.

Further, the committee examined and compared the BASU Act and Statutes in terms of the reference of the committee and identified the relevant pages, sections and rules where amendment are required. The modified draft of the agreement is annexed as Appendix-I

The proposal was accordingly placed in the 30th Meeting of Board of Management held on 20/05/2026 vide its Agenda No. 30.7, for approval of the recommendation made by the constituted committee as well as for approval of the draft of the modified agreement bond. The Board of Management was in agreement with the recommendation of the committee constituted for the purpose; however, the matter was deferred for consideration in the next meeting.

The proposal is accordingly placed before the Board of Management for consideration and approval of the same.

निर्णय

1. अनुमोदित।
2. संशोधित अनुबंध एतदसंबंधी निर्गत की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

कार्यावली संख्या-31.4

डॉ० राकेश कुमार, सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक (CAS के अधीन), Department of Dairy Microbiology, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना सम्प्रति अधिष्ठाता, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना को तीन वर्ष से अधिक की ग्रहणाधिकार की स्वीकृति के संबंध में।

विवरण :-

डॉ० राकेश कुमार, सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक (CAS के अधीन), Department of Dairy Microbiology, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना, की सावधिक नियुक्ति अधिष्ठाता, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना के पद विश्वविद्यालय के Offer of Appointment. No.:BASU/Reg./Rect./File No.-419/107 (Memo No. 383) दिनांक-21.05.2026 द्वारा पाँच वर्ष की अवधि अथवा अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक, जो पहले हो, के लिए की गई।

तदनु रूप डॉ० कुमार द्वारा नवनियुक्त पद पर योगदान की तिथि 21.05.2026 से धारित मौलिक पद से सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2030 तक ग्रहणाधिकार की स्वीकृति हेतु अनुरोध/आवेदन किया गया। प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या-174 सह-पठित ज्ञापांक संख्या-BASU/Reg./Admin./F.No.Admin.04/Pay/ 10/2019/569 दिनांक-15.06.2026 द्वारा नवनियुक्त सावधिक पद पर योगदान करने हेतु डॉ० कुमार द्वारा धारित मौलिक पद पर दिनांक-21.05.2026 से तीन वर्ष की ग्रहणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई है।

एतदक्रम में डॉ० कुमार द्वारा पुनः नवनियुक्त सावधिक पद पर योगदान की तिथि 21.05.2026 से धारित मौलिक पद से सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2030 तक (कुल चार वर्ष एक माह दस दिन) ग्रहणाधिकार की स्वीकृति बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना के पत्रांक-322/स्था०/बि०रा०ग०प्रौ०सं०, पटना दिनांक-08.07.2026 द्वारा किया गया है। आवेदन में अनुरोध किया गया है कि नवनियुक्त पद यथा अधिष्ठाता, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना की पदावधि पाँच वर्ष अथवा अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक, जो पहले हो, तक की है। तदनुरूप धारित मौलिक पद से सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2030 तक ग्रहणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम, 2020 की कंडिका-10.15 के अनुरूप तीन वर्षों से अधिक अवधि का ग्रहणाधिकार की स्वीकृति प्रबंधन बोर्ड के द्वारा की जा सकती है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में डॉ० राकेश कुमार, सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक (CAS के अधीन), बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना को उनके द्वारा धारित मौलिक पद पर दिनांक-21.05.2026 से धारित मौलिक पद से सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2030 तक (कुल चार वर्ष एक माह दस दिन) ग्रहणाधिकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

1. स्वीकृत।

2. ग्रहणाधिकार की अवधि पाँच वर्ष अथवा अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक, जो पहले हो, तक की होगी।

कार्यावली संख्या-31.5

विवरण :-

विश्वविद्यालय में स्थापित Human Resource Development Unit (HRD) अंतर्गत चयनित/मनोनित निदेशक (नोडल ऑफिसर) एवं उप निदेशक की सूचना। विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की 26वीं बैठक की कार्यवली संख्या-26.8 द्वारा Human Resource Development Unit (HRD) की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में अधिसूचना संख्या-65 ज्ञापांक-BASU/Reg./F.No./287/DR/BASU/Patna/207 दिनांक-05.05.2026 द्वारा Human Resource Development Unit (HRD) अंतर्गत निदेशक (नोडल ऑफिसर) एवं उप निदेशक के पद पर चयन/मनोनयन हेतु विश्वविद्यालय के योग्य शिक्षकों से Willingness की माँग की गई। तदालोक में, निदेशक (नोडल ऑफिसर) एवं उप निदेशक के पद पर चयन/मनोनयन हेतु क्रमशः चार एवं दो शिक्षकों का Willingness प्राप्त हुआ। दिनांक-22.06.2026 को चयन समिति के साथ आवेदकों का Interaction संपन्न हुआ। तदोपरांत चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में की गई चयन/मनोनयन की विवरणी निम्नवत है :-

S. NO.	Name of Post/ Position	Name of Selected /Nominated Teacher	Notification No. & Date
01	02	03	04
1.	Director (Nodal Officer), HRD Unit	Dr. Sanjay Kumar Bharti, Professor, Department of Veterinary Anatomy, Bihar Veterinary College, Patna.	N.No. 189 (Memo No. BASU/Reg./F.No./287/DR/BASU/Patna/645 Dated 20/06/2026
2.	Deputy Director, HRD Unit	Dr. Deepak Kumar, Associate Professor, Department of Veterinary Pathology, Bihar Veterinary College, Patna.	N.No. 190 (Memo No. BASU/Reg./F.No./287/DR/BASU/Patna/646 Dated 20/06/2026

उपरोक्त तथ्य विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

नोट किया गया।

विवरण :-

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिये सुचीबद्ध (Empanelled) किये गये Adjunct Professor की सूचना।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा एडजंक्ट प्राध्यापक (Adjunct Professor) के पद पर सुचीबद्ध (Empanelled) करने हेतु दिनांक-23.03.2026 को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर nomination / willingness समर्पित करने का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। एतदक्रम में प्राप्त nomination / willingness के आलोक में गठित चयन समिति द्वारा इच्छुक उम्मीदवार के साथ दिनांक-24.07.2026 को online interaction सम्पन्न किया गया।

गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में सूचीबद्ध (Empanelled) किये गये एडजंक्ट प्राध्यापक (Adjunct Professor) की विवरणी निम्नवत् है :-

A) VETERINARY FACULTY

Sl. No.	Name & Address	Notification Detail	Period of empanelment
1.	Dr. Arun Kumar, Programme Director, MVB Graduate Programme, Veterinary Science Centre, School of Veterinary Medicine, UCD, Belfield, Dublin, Ireland	N. No.- BASU / Reg. / Rect. /File No.- 417/ 243 and Memo No.-964 dt.- 03.08.2026	For one year from the date of notification and may be extended, one year at a time, up to a maximum period of 03 (three) years.

B) FISHERIES FACULTY

Sl. No.	Name & Address	Notification Detail	Period of empanelment
1.	Dr. Vindhya Mohindra A-703, Azea Botanica, GH-8, Sector-11, Vrindavan Yojna, Raibareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226029	N. No.- BASU / Reg. / Rect. /File No.- 417/ 244 and Memo No.-965 dt.- 03.08.2026	Only for one year from the date of notification.

उपरोक्त तथ्य विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

नोट किया गया।

विवरण :-

गैर-शैक्षणिक पदों पर पुनर्नियोजित विभिन्न संविदाकर्मियों की सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय कार्यहित में अगले छः माह / 65 वर्ष होने तक (जो भी पहले हो), पूर्ववर्ती शर्तों के अनुरूप प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में की गयी सेवा विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

गैर-शैक्षणिक पदों पर पुनर्नियोजित विभिन्न संविदाकर्मियों की सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय कार्यहित में अगले छः माह / 65 वर्ष होने तक (जो भी पहले हो), पूर्ववर्ती शर्तों के अनुरूप विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका 10.4 के अधीन प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में सेवा विस्तार की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	प्रथम योगदान की तिथि	सेवा विस्तार की अवधि	निर्गत कार्यालय आदेश
1	श्री धर्मदास पासवान	पुनर्नियोजित संविदाकर्म उच्च वर्गीय लिपिक, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	02.08.2025	02.08.2026 से 01.02.2027	BASU / Reg. / Rect / F.No.-324 (Part-I) /266 and Memo No.-1124 dated 02.09.2026

2	श्री विष्णु दत्त सिंह	पुनर्नियोजित संविदाकर्मी निम्न वर्गीय लिपिक, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	02.08.2025	02.08.2026 से 01.02.2027	BASU / Reg. / Rect / F.No.-324 (Part-I) /267 and Memo No.-1125 dated 02.09.2026
3	श्री चौदसी प्रसाद	पुनर्नियोजित संविदाकर्मी प्रयोगशाला परिचर, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी, टेक्नोलॉजी, पटना।	03.02.2026	03.08.2026 से 02.02.2027	BASU / Reg. / Rect / F.No.-324 (Part-I) /268 and Memo No.-1126 dated 02.09.2026
4	डॉ० सुचेता सिन्हा	पुनर्नियोजित संविदा आधारित कनीय शोध सहायक, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना	22.09.2025	22.09.2026 से 21.03.2027	BASU / Reg. / Rect / F.No.-324 (Part-I) /-283 and Memo No.-1212 dated 16.09.2026
5	श्री जयराम साह	पुनर्नियोजित संविदाकर्मी सईस, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	01.02.2026	01.08.2026 से 31.01.2027	BASU / Reg. / Rect / F.No.-324 (Part-I) /-284 and Memo No.-1213 dated 16.09.2026

उपरोक्तानुसार की गई सेवा विस्तार पर प्रबंधन बोर्ड की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

स्वीकृत।

कार्यावली संख्या-31.8

विवरण :-

Approval of Guidelines along with Evaluation Performa of Career Advancement Scheme (CAS), 2018 in accordance with UGC regulations of minimum qualifications for appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and Measure for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018 and further to recommend for amendment in Chapter -5 of University Statutes, 2020 accordingly.

A committee was constituted for preparation of guidelines alongwith evaluation proforma for the implementation of CAS in accordance with UGC regulations of minimum qualifications for appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and Measure for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2018 vide Office Order No.-BASU/Reg./Admin.F.No.03/Promotion/ 08/2020/(Part-V)/165, dated-03.07.2025.

The committee entrusted with the responsibility of preparation of CAS-2018 for the promotion of the teachers working in the Bihar Animal Sciences University, Patna, Bihar presented revised guidelines before the Academic Council in its 26th Meeting held on 11.06.2026 vide agenda No.-03/AC-26/26.

The Academic Council after consideration of the same, the proposed guidelines of CAS-2018 was approved and recommended for the approval from the Board of Management.

The approved and recommended guidelines of CAS-2018 is placed before the Board of Management for its approval and further to recommend for amendment of the existing guidelines of CAS, prescribed in chapter-5 of the university statutes, accordingly.

After recommendation, the assent of the Hon'ble Chancellor shall be obtained under sub-section-3 of section-39 of Bihar Animal Sciences University Act, 2016 for amendment of Chapter-5 of Bihar Animal Sciences University Statutes, 2020, accordingly.

निर्णय

विश्वविद्यालय विद्वत् परिषद् द्वारा यथा अनुशंसित Guidelines of CAS-2018 अनुमोदित एवं विश्वविद्यालय परिनियम में यथापेक्षित संशोधन हेतु अनुशंसित।

कार्यावली संख्या-31.9

Approval for establishment of "Seemanchal Livestock, Fisheries and Food Innovation Foundation (SeLFFI Foundation)" as a Section 8 Company at BASU Sub-Campus, Kishanganj and approval of the proposed Directors thereof.

विवरण :-

The Seemanchal region of Bihar, comprising Kishanganj, Purnea, Araria and Katihar, has considerable potential in livestock, dairy, fisheries, poultry, goat farming, food processing and other allied sectors. The region has favourable agro-climatic conditions, abundant natural resources, a large rural workforce and significant scope for technology-based entrepreneurship, value addition and employment generation.

The College of Veterinary and Animal Sciences (COVAS), Kishanganj and the College of Fisheries, Kishanganj, under Bihar Animal Sciences University, are strategically positioned to develop an institutional ecosystem for innovation, incubation, entrepreneurship, technology transfer, skill development and commercialization of research in livestock, fisheries, food processing and allied sectors. The location of Kishanganj, with its proximity to Siliguri and the North-Eastern region and the international border, also provides opportunities for wider collaboration and market linkages.

In view of the above, it is **proposed to establish the "Seemanchal Livestock, Fisheries and Food Innovation Foundation (SeLFFI Foundation)" as a Section 8 Company** under the Companies Act, 2013, with its proposed institutional base at **BASU Sub-Campus, Kishanganj**. The Foundation will function as a not-for-profit platform for promoting innovation and entrepreneurship and for facilitating linkages among BASU, Government agencies, research institutions, industries, startups, FPOs, SHGs, farmers and others.

The proposed Foundation will, inter alia, facilitate incubation and startup development, technology transfer, research commercialization, skill development, value addition, market linkages and allied subjects. It will work for mobilization of resources through Government schemes, competitive grants, CSR support, industry collaboration and other permissible sources.

- **Proposed Directors**

For initiating and facilitating the incorporation and initial functioning of the proposed Section 8 Company, the **following are proposed as Directors**,

subject to approval of the competent authority and compliance with applicable statutory requirements:

1. The Director Research, Bihar Animal Sciences University, Patna
2. The DRI-cum-DEAN PGS, Bihar Animal Sciences University, Patna
3. The Dean, College of Veterinary & Animal Sciences, Kishanganj
4. The Dean, College of Fisheries, Kishanganj
5. Dr. Dharendra Kumar, Associate Professor & Head, Department of Animal Genetics & Breeding, COVAS, Kishanganj
6. One teacher from colleges of the University to be nominated by the Vice-Chancellor, Bihar Animal Sciences University, Patna

The proposed Directors shall undertake necessary action for preparation of the Detailed Proposal, Memorandum of Association (MoA), Articles of Association (AoA) and other documents required for incorporation, and shall propose the governance, funding and implementation framework of the Foundation.

• **Financial Implication**

The proposed Foundation shall function as a not-for-profit organization and shall endeavour to mobilize resources through Government grants, CSR, competitive funding, industry collaboration, training, consultancy, incubation and other permissible activities. The proposal shall not create any recurring financial liability for the University unless specifically approved by the competent authority.

• **Proposal for Consideration**

The Board of Management is requested to consider and approve the following proposals:

1. Establishment of the "Seemanchal Livestock, Fisheries and Food Innovation Foundation (SeLFFI Foundation)" as a Section 8 Company under the Companies Act, 2013, at BASU Sub-Campus, Kishanganj;
2. Approval/nomination of the proposed Directors of the Foundation;
3. Authorization to the proposed Directors to prepare the necessary documents and initiate the process for incorporation of the Section 8 Company, in accordance with applicable rules and regulations; and
4. Authorization to explore appropriate Government, CSR, industry and institutional partnerships for resource mobilization and implementation of the objectives of the Foundation.

निर्णय

1. अनुमोदित।
2. एतदक्रम में सुझाव दिया गया कि पूर्व में स्वीकृत Section 8 Company "Innovation and Incubation Foundation- Bihar Animal Sciences University, Patna" सहित वर्तमान में स्वीकृत Section 8 Company "Seemanchal Livestock, Fisheries and Food Innovation Foundation (SeLFFI Foundation)" के प्रभावी संचालन एवं क्रियान्वयन के दृष्टिगत सलाहकार समिति (Advisory Committee) का गठन स्थानीय हितधारक (Stakeholders), व्यवसायी/उद्योगपति (Industrialist), बिहार सरकार के संबंधित विभाग यथा कृषि विभाग, मत्स्य/पशुपालन/गव्य विभाग के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए शीघ्र की जाय।

विवरण :-

श्री अशोक कुमार, उप कुलसचिव, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं बिहार राज्य की सेवा से इतर अन्य राज्य, केन्द्र सरकार अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र से विधिवत रूप से आये शिक्षकों/कर्मियों के वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

श्री अशोक कुमार का चयन विज्ञापन संख्या-05/2025 अंतर्गत होने के उपरांत दिनांक-08.04.2026 को पैतृक संस्थान से विधिवत विरमन के उपरांत योगदान किये। योगदान के उपरांत पैतृक संस्थान से निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन संरक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया।

अंकनीय है कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन उप कुलसचिव के पद पर श्री अशोक कुमार, नवोदय विद्यालय समिति में सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) के पद पर कार्यरत थे एवं दो वर्ष के ग्रहणाधिकार (Lien) के आधार पर विरमनोपरांत विश्वविद्यालय में नवचयनीत पद पर योगदान किये।

वेतन संरक्षण हेतु समर्पित आवेदन के आलोक में समीक्षा के क्रम में समरूप मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-18238/2019 में दिनांक-21.07.2025 को पारित न्यायादेश का उल्लेख किया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि बिहार सेवा संहिता के नियम-45 तथा 78 अंतर्गत वेतन संरक्षण का लाभ बिहार सरकार के अधीन कार्यरत कर्मियों के लिये ही अनुमान्य है एवं अन्य राज्याधीन सेवा अथवा केन्द्र सरकार के अधीन की सेवा से आये कर्मियों के लिए वेतन संरक्षण का प्रावधान नहीं है।

एतदक्रम में माननीय कुलपति द्वारा दिनांक-16.06.2026 को निम्न बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता श्री अंजनी कुमार से विधिक परामर्श प्राप्त करने का निदेश पारित किया गया -

- Merely a ruling by Hon'ble Court in a particular case - can it be applied universally?*
- Order of appointment specifically refers to protection of pay. In case, pay is not protected in a senior post requiring experience at a lower post, it is likely that the pay of a senior person might have exceeded starting pay of the advertised senior level post. If pay protection is not allowed, how a suitable selected candidate will provide his/her services at a lower pay?*
- Nowhere under rules there is a distinction made in State & Central Services. Needs further examination & learned legal retainer Sh. Anjani Kumar may pl. reflect his opinion in this case from legal angles.*

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार द्वारा विस्तृत रूप से मामले की समीक्षा की गई एवं विधिक परामर्श दिनांक-16.07.2026 को दी गई। विधिक परामर्श का विवरणी निम्नवत है :-

Pursuant to the direction of the Hon'ble Vice-Chancellor dated 16.06.2026 contained in the file, the present opinion file has been received in the office of the undersigned for rendering opinion on the point as to whether Mr. Ashok Kumar presently working as Deputy Registrar in Bihar Animal Sciences University, Patna since 08.04.2026 and posted at Headquarter office Bihar Animal Sciences University, Patna, is entitled to pay protection of what he was getting while working as Assistant Commissioner (Admin) Navodya Vidyalaya Samiti, Bhopal and such application regarding pay fixation and release of salary is kept at Page No. 84-85 (C) and LPC is contained at Page 80(c).

The present opinion file has been processed in the following manner :-

The post was advertised vide employment notice No. 05/2025 dated 06.10.2025 and at Clause -D the post of Deputy Registrar was also included, pursuant to such employment notice No. 05/2025 Mr. Ashok Kumar has submitted his application for appointment on the post of Deputy Registrar, and finally pursuant to approval by Board of Management in its meeting dated 23.02.2026 at Agenda No. 29.1, has approved the appointment of Sri Ashok Kumar, the then

Assistant Commissioner (Administration) Navodya Vidyalaya Samiti Ministry of Education, Govt. of India, Bhopal Madhya Pradesh which at Page 15 (C) and while making approval the Board of Management has approved such appointment in terms of the provision contained in the University Act/Statute and conditions mentioned therein.

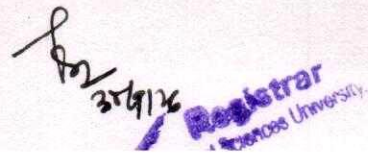
Pursuant to such approval by the Board of Management offer of appointment dated 24.02.2026 at page 19-20(C) has been issued offering such appointment to Mr. Ashok Kumar and Clause-8 thereof states "you will get the benefit of pay protection as per University Statute/State Government Rules". Thereafter, a service contract was executed between Mr. Ashok Kumar and Bihar Animal Sciences University, Patna and the service contract at no place provides for any such pay protection. After such offer of appointment Mr. Ashok Kumar's joining has been accepted vide letter dated 15.04.2026 w.e.f. 08.05.2026 and such joining was accepted in following terms "Service Conditions will be governed by terms and conditions laid down in employment notice No. 05/2025, his offer of appointment, Agreement Bond and as per University Rules."

It seems that thereafter on 26.05.2026 Mr. Ashok Kumar has requested the Ld. Registrar Bihar Animal Sciences University, Patna for fixation of pay and release of salary annexing therewith (Page-84-85(C)) the LPC (Page -80). On the basis whereof Mr. Ashok Kumar has requested for pay protection of what he was getting while working as Assistant Commissioner, i.e. from where Mr. Ashok Kumar has been relieved for joining the present post.

Neither the advertisement, offer of appointment, contract nor the approval of appointment by Board of Management states of pay protection to be granted to Mr. Ashok Kumar pursuant to his joining as Deputy Registrar in Bihar Animal Sciences University, Patna. Ld. Law Officer in his note dated 16.06.2026 in the file has refers to Rule 78 which is nutshell does not provide of pay protection if any government servant not being the Government Servant of the State of Bihar is entitled for pay protection and in support thereof Ld. Law Officer has referred to one Judgment of the Hon'ble Patna High Court in CWJC No. 18238 of 2019 dated 21.07.025 which as interpreted to Rule 78 (A) (i) of Bihar Service Code that any Central Government employee cannot get pay protection if employed in the State of Bihar.

But offer of appointment dated 24.02.2026 states in its Clause 9 of pay protection which seems to be in consonance with the provisions contained in Clause 7.5 of statute 2020. The said Clause 7.5 applies if appointment is made on the post of Registrar, Dean and Director. The Clause 9 of offer of appointment has to be considered by Board of Management if the Hon'ble Authorities are satisfied for grant of pay protection since taking a decision in the file in case of Ashok Kumar may amount to modification in the decision of Board of Management, hence appropriate decision has to be taken by Board of Management which can only modify its decision. Moreover Mr. Ashok Kumar is an appointee against the permanent post/substantive post and not on tenural post.

I have examined the different provisions of Bihar Animal Sciences University, Act, 2016, Bihar Animal Sciences University Statutes 2020, but the undersigned is unable to comprehend from the above enactment/statutes that pay protection is to be granted to any newly appointed personnel in Bihar Animal Sciences University, Patna while making such appointment. The undersigned has referred to the very offer of appointment and Clause -8 thereof only provides that

 Registrar
Bihar Animal Sciences University, Patna

the pay protection will be granted in terms of the University Act/Statutes and similarly Board of Management while approving of appointment of Mr. Ashok Kumar has also said in the same terms. Thus the crux of the matter is that if the pay protection is admissible to a newly appointed personnel then only the pay protection can be granted otherwise there will be a serious objection by the financial auditor if a pay protection is granted and is paid higher salary than what has been offered in the advertisement and the offer of appointment. Moreover Mr. Ashok has applied to the post of Deputy Registrar with open eyes containing the pay/perks admissible to the post as well as in the offer of appointment hence any subsequent plea to enhance the pay scale than what was offered to him perhaps in the humble opinion of the undersigned is not admissible.

Now I come to the noting of the Hon'ble Vice Chancellor wherein it has been stated that merely a ruling by Hon'ble Court in a particular case can it be applied universally, in this regard the undersigned with all humility states that the said judgment referred to by Ld. Law Officer has been rendered while making interpretation of Rule 78(a)(i) of Bihar Service Code and which has never been disturbed by any Superior Court. Moreover, all depends on facts of each case. The second noting of the Hon'ble Vice Chancellor whereunder he has been pleased to observe that the order of appointment specially refers to protection of pay and in this regard with all humility the undersigned is of the opinion that no doubt the offer of appointment speaks of grant of pay protection in its Clause 8 & 9 as stated above but such offer is subject to University Statutes/State Government Rules, but neither the University statute nor the State Government Rules permit such pay protection. With respect to 3rd observation of the Hon'ble Vice Chancellor that in case pay is not protected in a Senior post requiring experience at a lower post it is likely that the pay of a Senior person might have exceeded starting pay of the advertised senior level post. If pay protection is not allowed how a suitable selected candidate will provide his/her services at a lower level. In this regard with all humility the undersigned desires to state with due regard that the very advertisement asking the candidates to submit applications specifically provides for a particular pay scale and the advertisement does not stipulate of any pay protection as such and thus the conditions as such Clause -8 & 9 in the offer of appointment are subsequent one than what was advertised and what has been approved by Board and thus it may amount to re-consideration of the very conditions advertised in the advertisement and approval by Board of Management.

In view of the above the undersigned is of the humble view, with all humility, that this is a subject which is to be appreciated by Board of Management which is the Apex Body of Bihar Animal Sciences University, Patna which has earlier approved the appointment vide Agenda No. 29.1 dated 23.02.2026 and thus it is a case which requires consideration by Board of Management.

The aforesaid opinion has been rendered with all humility.

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री अशोक कुमार, उप कुलसचिव, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का औपबन्धिक वेतन निर्धारण, बिना वेतन संरक्षण का लाभ दिये विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या-BASU/Reg./Admin./P/F/425/Rect./235 (Memo No. 916) दिनांक-28.07.2026 द्वारा किया गया है।

अंकनीय है कि इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की सेवा से इतर अन्य राज्य, केन्द्र सरकार अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र की सेवा से आये अन्य लगभग 15 कर्मियों/शिक्षकों का भी वेतन संरक्षण का मामला विचाराधीन/लंबित है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता श्री अंजनी कुमार द्वारा प्रदत्त विधिक परामर्श के आलोक में बिहार राज्य की सेवा से इतर अन्य राज्य, केन्द्र सरकार अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र से विधिवत रूप से आये शिक्षकों/कर्मियों के वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने के मामले पर निर्णय हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

विस्तृत विमर्श एवं सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि योग्य/अनुभवी एवं उपयुक्त कर्मियों की सेवा प्राप्त करने के दृष्टिगत बिहार राज्य के अंतर्गत सेवा सहित बिहार राज्य की सेवा से इतर अन्य राज्याधीन, केन्द्र सरकार के अधीन/ अन्य राज्य, केन्द्र सरकार के अधीन स्वायत्त सरकारी संस्था अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र की सेवा से आये सभी कर्मियों को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाय, बशर्ते कि संबंधित कर्मी उचित माध्यम से विधिवत विमरणोपरांत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की सेवा में योगदान किये हों।

कार्यावली संख्या-31.11

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC संख्या-19171/2021 में दिनांक-21.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री कृष्ण मुरारी, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना के विरुद्ध विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका-10.9 (1) से (8) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित करने, गठित आरोप पत्र का अनुमोदन तथा अग्रेत्तर एवं अनुषांगिक कारवाई हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करने के संबंध में।

विवरण :-

श्री कृष्ण मुरारी, तत्कालीन सहायक प्राध्यापक (दिनांक-31.07.2024 को सेवानिवृत्त), बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना की सेवा अभिलेख के संबंध में प्रतिवेदित त्रुटियों एवं अनियमितताओं की जाँच हेतु गठित जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या-230, (ज्ञापांक-1073), दिनांक-29.10.2021 द्वारा वृत्ति उन्नयन योजना (CAS) के अधीन दिनांक-02.05.1993 के प्रभाव से वरीय वेतनमान में उन्हें दी गई प्रोन्नति को निरस्त किया गया।

निर्गत आदेश के विरुद्ध श्री कृष्ण मुरारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-19171/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-21.07.2026 को उक्त वाद में न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

"41. In the considered opinion of this Court, the order passed by the University is in complete violation of the provisions contained in Clause 10.9(1) to (8) of Chapter-II of the Statute, therefore the impugned order contained in memo no. 1073 dated 29.10.2021 issued under the signature of the Registrar Bihar Animal Science University, Patna and memo no. 284 dated 07.06.2022 issued under the signature of the Registrar, Bihar Animal Science University, Patna, deserves to be set aside and are accordingly set aside.

42. The matter is remitted back to the respondent authorities for proceeding afresh in terms of the provisions contained in Clause 10.9(1) to (8) of Chapter-II of the Statute. The entire exercise in this regard must be completed within a period of six months from the date of receipt/production of a copy of the order. The petitioner had also filed one writ petition bearing C.W.J.C. No. 7485 of 2018, however the same was dismissed as having become infructuous vide order dated 06.01.2026 passed by a Hon'ble Co-ordinate Bench of this Court. Further this Court is conscious of the fact that the petitioner has superannuated from service on 30.06.2024 and in view of the judgment of the Hon'ble Division Bench passed in L.P.A. No. 446 of 2024 (The State of Bihar and Ors. Vs. Vikash Kumar @ Vikas Kumar), which has been relied upon by the learned Senior

counsel for the petitioner to make out a case that since the order is without jurisdiction the remand is not to be made. However, in the present case, since the matter relates to obtaining Ph.D. degree by misrepresentation and remaining absent unauthorizedly, for which salary was also not paid and other serious irregularities and illegalities committed by the petitioner have been found, therefore, this Court being, conscious of the Judgment of the Hon'ble Division Bench, specially paragraph no. 7 were the Hon'ble Division bench has observed that "we bet to differ, since the ground on which the dismissed order was interfered with, was not a technical defect in the conduct of the enquiry. It is only when the termination of an employee is faulted on technical ground, there is need for remand on the ground inter alia of violation of principles of natural justice, so as to resume the enquiry from the stage as which the technical defect is noticed. In the present case since the Statute itself was not followed, therefore the present case is a fit case for remand and accordingly this Court is remitting back the matter to the University for proceeding afresh, in terms of Clause 10.9(1) to (8) of Chapter-II of the Statute. Any recovery or withdrawal of the promotion of the petitioner will abide by the fresh decision, to be taken by the University in terms of this order."

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका-10.9 (1) से (8) के अधीन विभागीय कार्यवाही संपन्न करने के दृष्टिगत आरोप पत्र का गठन किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री कृष्ण मुरारी, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना के विरुद्ध विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका-10.9 (1) से (8) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित करने, गठित आरोप पत्र का अनुमोदन तथा अग्रेत्तर एवं अनुषांगिक कारवाई हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत करने का स्वीकृति प्रस्ताव प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अनुमोदित एवं स्वीकृत।

कार्यावली संख्या-31.12

विवरण :-

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक-11.06.2026 को संपन्न 26वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की संपुष्टि के संबंध में।

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक-11.06.2026 को संपन्न 26वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विश्वविद्यालय ज्ञापांक-BASU/Reg./Acad./F.No.-01(23)/709 दिनांक-25.06.2026 द्वारा परिचालित है।

परिचालित कार्यवाही प्रतिवेदन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

सम्पुष्ट।

कार्यावली संख्या-31.13

विवरण :-

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक-20.06.2026 को संपन्न 27वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की संपुष्टि के संबंध में।

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक-20.06.2026 को संपन्न 27वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विश्वविद्यालय ज्ञापांक-BASU/Reg./Acad./F.No.-01(24)/718 दिनांक-01.07.2026 द्वारा परिचालित है।

परिचालित कार्यवाही प्रतिवेदन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

सम्पुष्ट।

कार्यावली संख्या-31.14

विवरण :-

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक-21.09.2026 को आहूत 28वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की संपुष्टि के संबंध में।

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की दिनांक-21.09.2026 को संपन्न 28वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन विश्वविद्यालय ज्ञापांक-BASU/Reg./Acad./F.No.-01(25)/1295 दिनांक-29.09.2026 द्वारा परिचालित है।

परिचालित कार्यवाही प्रतिवेदन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

सम्पुष्ट।

कार्यावली संख्या-31.15

अध्यक्ष की अनुमति से अन्यान्य मामले।

कार्यावली संख्या-31.15.1

विवरण :-

डॉ० इन्द्रजीत सिंह, कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का वेतन निर्धारण के संबंध में।

राज्यपाल सचिवालय, बिहार राजभवन, पटना का अधिसूचना संख्या-BSU(VC-BASU)-21/2024-39/GS(I), दिनांक-09.01.2025 द्वारा डॉ० इन्द्रजीत सिंह का चयन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति के रूप में संसूचित है।

डॉ० इन्द्रजीत सिंह द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना में कुलपति के पद पर दिनांक-20.01.2025 को योगदान किया गया। योगदान प्रतिवेदन विश्वविद्यालय ज्ञापांक-बि०प०वि०वि०/कु०स०/1321 दिनांक-20.01.2025 द्वारा परिचालित है।

डॉ० इन्द्रजीत सिंह, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सिरसारोड, हिसार-125001 (हरियाणा) के पैतृक संस्थान से पेंशन निर्धारण ससमय नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या-18 सह-पठित ज्ञापांक संख्या-बि०प०वि०वि०/कु०स०/प्रशा०/सं०सं० P/F 01/Rect./54/2025/111 दिनांक-22.04.2025 द्वारा औपबंधिक वेतन निर्धारण करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड की 24वीं बैठक की कार्यावली संख्या 24.15 द्वारा संसूचित है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132001, (हरियाणा) के फाइल संख्या : पेंशन 3203/ऑडिट/2026-225-228 दिनांक-18.08.2026 द्वारा डॉ० इन्द्रजीत सिंह का पेंशन भुगतान आदेश निर्गत किया गया है। तदनु रूप विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या-265 सह-पठित ज्ञापांक संख्या-बि०प०वि०वि०/कु०स०/प्रशा०/सं०सं० P/F 01/Rect./54/2025/1123 दिनांक-02.09.2026 द्वारा डॉ० सिंह का वेतन निर्धारण अन्तिम रूप से की गई है।

उपरोक्त तथ्य विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

नोट किया गया।

कार्यावली संख्या-31.15.2

विवरण :-

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०-03/2026 दिनांक-21.04.2026 द्वारा Professor (Veterinary Faculty), Bihar Veterinary College, Patna तथा College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj अंतर्गत तीन विभागों, यथा - Animal Genetics & Breeding (AGB), Livestock Farm Complex (LFC) and Livestock Production Management (LPM) में यथा विज्ञापित प्राध्यापक के पद पर चयन हेतु दिनांक-30.07.2026 को सम्पन्न साक्षात्कार के फलस्वरूप चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति के निमित्त अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०-03/2026 दिनांक-21.04.2026 के अधीन Professor (Veterinary Faculty), Bihar Veterinary College, Patna तथा College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj अंतर्गत तीन विभागों यथा - Animal Genetics & Breeding (AGB), Livestock Farm Complex (LFC) and Livestock Production Management (LPM) में यथा विज्ञापित प्राध्यापक के पद पर चयन हेतु दिनांक-30.07.2026 को साक्षात्कार आयोजित कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई है। एतदसंबंधित विवरणी निम्नवत है :-

संक्षिप्त विवरणी तथा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव					
विज्ञापन सं० :-	03/2026 Dated:- 21.04.2026		चयन समिति की अनुशंसा निम्न बंद लिफाफा में सुरक्षित है, जो प्रबंधन बोर्ड के समक्ष खोलने एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।		
पद :-	प्राध्यापक				
महाविद्यालय :-	बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज, बिहार।			
विभाग :-	i. Livestock Production Management- 01 Post	i. Animal Genetics & Breeding-01 Post	क्र.सं.	विभाग	लिफाफा सं०
	ii. Livestock Farm Complex (LPM)-01 Post	ii. Livestock Farm Complex (ANN)-01 Post	1.	AGB (CoVAS)	01
			2.	LFC (ANN) (CoVAS)	02
प्राप्त आवेदनों की संख्या :-	LPM- 02 LFC(LPM)-05	AGB-01 LFC(ANN)-01	3.	LPM (BVC)	03
योग्य अभ्यर्थियों की संख्या :-	LPM- 02 LFC(LPM)-04	AGB-01 LFC(ANN)-01	4.	LFC (LPM) (BVC)	04
साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या :-	LPM- 02 LFC(LPM)-03	AGB-01 LFC(ANN)-01			

एतदक्रम में विदित कराना है कि विज्ञापन सं०-03/2026 अन्तर्गत Bihar Veterinary College, Patna तथा College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj के 15 विभिन्न विभागों के लिये कुल 34 प्राध्यापक के रिक्त पद प्रकाशित किये गये थे, जिनमें केवल 19 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से मात्र 15 अभ्यर्थी योग्य पाये गये वह भी 08 विभिन्न विभागों के रिक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त 03 विभागों के 04 रिक्त पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण की गयी तथा शेष 30 पदों का आरक्षण रोस्टर यथावत रखते हुये अधिक संख्या में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के दृष्टिकोण से पुनः प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है।

निर्णय

1. **Professor, Department of Animal Genetics & Breeding, CoVAS, Kishanganj**

College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj के अधीन Professor, Department of Animal Genetics & Breeding के अनारक्षित कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञापन सं० 03/2026 दिनांक-21.04.2026 अंतर्गत दिनांक-30.07.2026 को सम्पन्न साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति द्वारा समर्पित अनुशंसा पैनल (Recommendation Sheet) को अनुमोदित करते हुए अनुशंसा पैनल के क्र०सं०-1 पर अंकित एवं अनुशंसित उम्मीदवार **Dr. Dharendra Kumar, S/o Late Prayag Narayan Singh, Narayan House, New Mahavir Colony, Beur, Patna - 800 002** को College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj के अधीन Professor, Department of Animal Genetics & Breeding के पद पर विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/विनियम के अधीन यथाविहित शर्तों एवं वेतन के अनुरूप नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया गया।

2. **Professor, Department of Livestock Farm Complex (Animal Nutrition), CoVAS, Kishanganj**

College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj के अधीन Professor, Department of Livestock Farm Complex (Animal Nutrition) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित कोटि के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञापन सं० 03/2026 दिनांक-21.04.2026 अंतर्गत संगत कोटि के उम्मीदवार अनुपलब्ध रहने के फलस्वरूप विज्ञापन की सामान्य निर्देश की कड़िका 18 (ii) के अधीन आवेदक (कों) का दिनांक-30.07.2026 को सम्पन्न साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति द्वारा समर्पित अनुशंसा पैनल (Recommendation Sheet) को अनुमोदित करते हुए अनुशंसा पैनल के क्र०सं०-1 पर अंकित एवं अनुशंसित उम्मीदवार **Dr. Kiran Kumari, D/o Sri N. N. Mishra, C/o Dr. Prabhat Kumar Mishra, Vill+P.O. – Kharajpur, Via-DMC, Darbhanga, Bihar – 846 003** को College of Veterinary and Animal Sciences, Kishanganj के अधीन Professor, Department of Livestock Farm Complex (Animal Nutrition) के पद पर विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/विनियम के अधीन यथाविहित शर्तों एवं वेतन के अनुरूप नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया गया।

3. **Professor, Department of Livestock Farm Complex (Livestock Production Management), BVC, Patna**

Bihar Veterinary College, Patna के अधीन Professor, Department of Livestock Farm Complex (Livestock Production Management) के अनारक्षित कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञापन सं० 03/2026 दिनांक-21.04.2026 अंतर्गत दिनांक-30.07.2026 को सम्पन्न साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति द्वारा समर्पित अनुशंसा पैनल (Recommendation Sheet) को अनुमोदित करते हुए अनुशंसा पैनल के क्र०सं०-2 पर अंकित एवं अनुशंसित उम्मीदवार **Dr. Ravindra Kumar, S/o Chandeshwar Prasad, Flat No. B1, Ashoka Apartment, Road No.-2, Kusum Vihar, Morabadi, Ranchi – 834008 (Jharkhand)** को Bihar Veterinary College, Patna के अधीन Professor, Department of Livestock Farm Complex (Livestock Production Management) के पद पर विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/विनियम के अधीन यथाविहित शर्तों एवं वेतन के अनुरूप नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया गया। साथ ही पैनल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया।

4. **Professor, Department of Livestock Production Management, BVC, Patna**

Bihar Veterinary College, Patna के अधीन Professor, Department of Livestock Production Management के पिछड़ा वर्ग (बैकलॉग) कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञापन सं० 03/2026 दिनांक-21.04.2026 अंतर्गत दिनांक-30.07.2026 को सम्पन्न साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति द्वारा समर्पित अनुशंसा पैनल (Recommendation Sheet) को अनुमोदित करते हुए अनुशंसा पैनल के क्र०सं०-2 पर अंकित एवं अनुशंसित उम्मीदवार **Dr. Ravikant Nirala, S/o Late Punyadeo Singh, House No. – 107/37, Varun Colony, Gola Road, Danapur, Patna – 801503** को Bihar Veterinary College, Patna के अधीन Professor, Department of Livestock Production Management के पद पर विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम/विनियम के अधीन यथाविहित शर्तों एवं वेतन के अनुरूप नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया गया।

5. साथ ही शेष 30 पदों का आरक्षण रोस्टर यथावत रखते हुये अधिक संख्या में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के दृष्टिकोण से पुनः प्रकाशित करने के निर्णय को सम्पुष्ट किया गया।

कार्यावली संख्या-31.15.3

विवरण :-

विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं०-04/2026 दिनांक-02.05.2026 द्वारा निदेशक, कार्य एवं संयंत्र, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पद पर चयन हेतु दिनांक-25.06.2026 को सम्पन्न साक्षात्कार के फलस्वरूप चयन समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार की नियुक्ति के निमित्त अनुमोदन के संबंध में।
विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन सं०-04/2026 दिनांक-02.05.2026 के अधीन निदेशक, कार्य एवं संयंत्र, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पद पर चयन हेतु दिनांक-25.06.2026 को साक्षात्कार आयोजित कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई है। एतदसंबंधित विवरणी निम्नवत है :-

संक्षिप्त विवरणी तथा अनुमोदन हेतु प्रस्ताव		
विज्ञापन सं० :-	04/2026	निदेशक, कार्य एवं संयंत्र, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के पद पर चयन हेतु कुल 03 आवेदन प्राप्त हुए एवं स्क्रीनिंग समिति द्वारा सभी 03 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए योग्य पाए गये। इस पद के लिए दिनांक-25.06.2026 को साक्षात्कार आयोजित किये गये एवं साक्षात्कार में कुल 03 उम्मीदवार उपस्थित हुए। चयन समिति की अनुशंसा बंद लिफाफा सं०-05 में सुरक्षित है, जो प्रबंधन बोर्ड के समक्ष खोलने एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।
दिनांक :-	02.05.2026	
पद :-	निदेशक, कार्य एवं संयंत्र	
संस्थान :-	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	
पद की संख्या :-	01	

निर्णय

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन निदेशक, कार्य एवं संयंत्र के अनारक्षित कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापित विज्ञापन सं० 04/2026 दिनांक-02.05.2026 अंतर्गत दिनांक-25.06.2026 को सम्पन्न साक्षात्कार के उपरांत चयन समिति द्वारा समर्पित अनुशंसा पैनल (Recommendation Sheet) को अनुमोदित करते हुए अनुशंसा पैनल के क्र०सं०-03 पर अंकित एवं अनुशंसित उम्मीदवार **Shri Anil Kumar Jha, S/o Late Jai Krishna Jha, Vill - Ramnagar, PO-Jagatpur, PS - Rahika, District-Madhubani, PIN- 847211 (Bihar)** को निदेशक, कार्य एवं संयंत्र के पद पर विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियम के अधीन यथाविहित शर्तों एवं वेतन के अनुरूप नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया गया।

कार्यावली संख्या-31.15.4

विवरण :-

डॉ० शिवराज सिंह, सह-प्राध्यापक, **Department of Dairy Business Management, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना** की नियुक्ति रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में सह-प्राध्यापक के पद होने के फलस्वरूप नव नियुक्त पद पर योगदान करने के दृष्टिगत दिनांक-04.10.2026 (अप०) के प्रभाव से समर्पित तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति की सूचना।

डॉ० शिवराज सिंह, सह-प्राध्यापक, **Department of Dairy Business Management, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, पटना** की नियुक्ति रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में F.No.: 23542/RLBCAU(R)/2026 दिनांक-04.07.2026 द्वारा सह-प्राध्यापक के पद पर होने के फलस्वरूप नवनियुक्त पद पर योगदान करने के दृष्टिगत डॉ० सिंह द्वारा 04.10.2026 (अप०) के प्रभाव से समर्पित तकनीकी त्यागपत्र की स्वीकृति विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या-294 सह-पठित ज्ञापांक संख्या-BASU/Reg./Admin./ F.No. P/F/07/2023/Estt./BSIDT/1260 दिनांक-22.09.2026 द्वारा किया गया है।

उपरोक्त सूचना प्रबंधन बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ एवं सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

नोट किया गया।

कार्यावली संख्या-31.15.5

विवरण :-

गैर-शैक्षणिक पदों पर पुनर्नियोजित विभिन्न संविदाकर्मियों की वर्तमान सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय कार्यहित में अगले छः माह / 65 वर्ष होने तक (जो भी पहले हो), पूर्ववर्ती शर्तों के अनुरूप प्रबंधन बोर्ड के सेवा विस्तार के अनुमोदन के संबंध में।
गैर-शैक्षणिक पदों पर पुनर्नियोजित विभिन्न संविदाकर्मियों की वर्तमान सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय कार्यहित में अगले छः माह / 65 वर्ष होने तक (जो भी पहले हो), पूर्ववर्ती शर्तों के अनुरूप विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका 10.4 (अंग्रेजी) के अधीन आगामी सेवा विस्तार हेतु प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०सं०	नाम वर्तमान पुनर्नियोजन सेवा विस्तार अवधि समाप्त की तिथि	पदनाम	प्रथम योगदान की तिथि	सेवा विस्तार की अवधि	सेवा विस्तार की अवधि में पुनर्नियोजित संविदाकर्मियों की उम्र
1	श्री राधा रमण सिंह 31.10.2026	पुनर्नियोजित संविदाकर्मियों डेयरी ओवरसियर, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	01.11.2025	01.11.2026 से 30.04.2027	65 वर्ष से कम
2	श्री धर्मदास पासवान 01.01.2027	पुनर्नियोजित संविदाकर्मियों उच्च वर्गीय लिपिक, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	02.08.2025	02.02.2027 से 01.08.2027	65 वर्ष से कम
3	श्री विष्णु दत्त सिंह 01.01.2027	पुनर्नियोजित संविदाकर्मियों निम्न वर्गीय लिपिक, बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।	02.08.2025	02.02.2027 से 01.08.2027	65 वर्ष से कम
4	श्री चाँदसी प्रसाद 02.02.2027	पुनर्नियोजित संविदाकर्मियों प्रयोगशाला परिचर, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी, टेक्नोलॉजी, पटना।	03.02.2026	03.02.2027 से 02.08.2027	65 वर्ष से कम

उपरोक्तानुसार सेवा विस्तार पर प्रबंधन बोर्ड का अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

अनुमोदित।

[Signature]
30/9/26

कार्यावली संख्या-31.15.6

विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत संस्थानों के लिये वेतनस्तर-1 से 5 के वेतनमान में स्वीकृत 19 गैर शैक्षणिक पदनामों के लिये यथाविहित लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम, कौशल परीक्षा की प्रक्रियाएं आवेदन शुल्क का निर्धारण का अनुमोदन एवं विज्ञापन प्रारूप, आवेदन पत्र प्रारूप की सूचना।

विवरण :-

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं अंगीभूत संस्थानों के लिये स्वीकृत वेतनस्तर-1 से 5 के वेतनमान में स्वीकृत 19 गैर शैक्षणिक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु यथाविहित लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम, कौशल परीक्षा की प्रक्रियाएं आवेदन शुल्क का निर्धारण एवं विज्ञापन प्रारूप, आवेदन पत्र प्रारूप तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश संख्या BASU/Reg./Rect./F.No. 438/210 (Memo No. 766) दिनांक-08.07.2026 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा संबंधित पदों के लिए यथालागू लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम, कौशल परीक्षा की प्रक्रियाएं आवेदन शुल्क का निर्धारण एवं विज्ञापन प्रारूप, आवेदन पत्र प्रारूप तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

तदनुसार वेतनस्तर-1 से 5 के वेतनमान में स्वीकृत 19 गैर शैक्षणिक पदनामों के लिये यथाविहित लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम, कौशल परीक्षा की प्रक्रियाएं आवेदन शुल्क का निर्धारण का अनुमोदन एवं विज्ञापन प्रारूप, आवेदन पत्र प्रारूप की सूचना के निमित्त विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुमोदित एवं नोट किया गया।

निर्णय

कार्यावली संख्या-31.15.7

विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 30.09.2026 को सम्पन्न 13वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की संपुष्टि के संबंध में।

विवरण :-

विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 30.09.2026 को सम्पन्न 13वीं बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन प्रबंधन बोर्ड के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

सम्पुष्टि।

बैठक के अंत में कुलसचिव-सह-गैर सदस्य सचिव, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों एवं प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापन किया। तदोपरान्त बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह०/-

कुलसचिव (प्रभारी)-सह-गैर सदस्य सचिव,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना-14

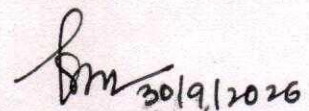
ह०/-

कुलपति-सह-अध्यक्ष,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
पटना-14

ज्ञापांक 1300/कु०स०/बि०प०वि०वि०, पटना
प्रतिलिपि:-

दिनांक 30/09/2026

1. विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष एवं सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, किशनगंज, बिहार को कार्यावली संख्या-31.9 पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
3. नियंत्रक, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को कार्यावली संख्या-31.15.7 पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
4. सहायक कुलसचिव (नियुक्ति), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को कार्यावली संख्या क्रमशः 31.6, 31.7, 31.15.2, 31.15.3, 31.15.5 एवं 31.15.6 पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
5. उप कुलसचिव (शिक्षा/परीक्षा), बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को कार्यावली संख्या-31.12, 31.13 एवं 31.14 पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा ली गई निर्णय के आलोक में अग्रेत्तर कारवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
6. सर्व-नियंत्री पदाधिकारी, आई०सी०टी०, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



कुलसचिव (प्रभारी)-सह-गैर सदस्य सचिव,
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना-14